B-III & IV
L- 17
Environment & Ecology

वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 :-

वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 एक महत्वपूर्ण और दूरगामी संशोधन है। इसके पूर्व 2002, 03, 2006 में भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं-

2002-03

- संरक्षण रिजर्व
- सामुदायिक रिजर्व, की स्थापना के प्रावधान

2006

i) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
ii) राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना के प्रावधान।

वर्तमान संशोधन का मुख्य उद्देश्य

Scanned by CamScanner

वन्यजीवों का बेहतर संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रबंधन सुनिश्चित करना है (Protection, Conservation, & Management)।

एक अन्य उद्देश्य इस अधिनियम को CITES के अनुरूप बनाना भी है, Conservation On International Trade in Endangered Species of wild fauna and Flora 1975 से लागू हो रही एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न खतरों से बचाना है। भारत भी इस संधि का एक सदस्य है (कुल 184 सदस्य)।

मुख्य संशोधित प्रावधान-

i) प्रस्तावना में मौलिक लक्ष्य संरक्षण

Scanned by CamScanner

को बदलकर अब PCM (Protection, Conservation & Management) कर दिया गया है।

ii) अधिनियम की अनुसूचियों में बदलाव -

(a) कुल अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है।

(b) बर्मिन या अवांछित जंतुओं की अनुसूची अब हटा दी गयी है, इस प्रकार के जंतु अब निश्चित समयसीमा और क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों के अनुमोदन पर केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित किए जा सकेंगे।

(c) प्रथम अनुसूची में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त जंतुओं को रखा गया है,

Scanned by CamScanner

जिनमें से कई CR हैं।

(d) दूसरी अनुसूची में ऐसे जन्तु रखे गए हैं जिन्हें भी संरक्षण की आवश्यकता है किन्तु अनुसूची I के जंतुओं से कम।

(e) तीसरी अनुसूची में संरक्षित पौधों की 19 प्रजातियाँ शामिल हैं।

(f) चौथी अनुसूची में उन प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है जो CITES के परिशिष्ट I या II में उल्लिखित हैं किन्तु इस अधिनियम की अनुसूची I, II या III में सम्मिलित नहीं हैं।

iii) अधिनियम में अध्याय V B को जोड़ा गया है, जिससे CITES के

Scanned by CamScanner

कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हो सकेंगे। वन्यजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार एक वैज्ञानिक प्राधिकरण और एक प्रबंधन प्राधिकरण की भी स्थापना करेगी।

iv) राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं-

(a) वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए एक परामर्श समिति गठित की जाएगी जिसमें स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी होगी।

(b) वन संसाधनों से स्थानीय समुदाय को सीमित रूप से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसे- जड़ी

Scanned by CamScanner

बूटियों को एकत्रित करना, चारा इक्ट्ठा करना इत्यादि।

(c) स्थानीय समुदायों को संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास से सीमित मात्रा में मछलियों को पकड़ने का अधिकार होगा।

v) जैविक उद्यानों के कार्यक्षेत्र को अब बढ़ा दिया गया है, इन्हें अब Ex-situ Conservation, Captive Breeding (संरक्षित प्रजनन) और Species Rescue Centre (प्रजाति बचाव के केन्द्र)। की जिम्मेदारी दी गयी है।

vi) जीवित हाथियों का निजी स्वामित्व इस संशोधन के बाद भी जारी रहेगा। साथ ही साथ अब इनको

Scanned by CamScanner

एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना सम्भव होगा।

vii) वन्यजीवों या उनके अंगों को उनके निजी स्वामित्व से वन-विभाग को अब सौंपा जाना संभव है, इसके लिए वन विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी।

इस संशोधन को लेकर चिंतनीय बिन्दु →

1. CITES के प्रावधानों को शामिल करने के बाद संरक्षण और वन्यजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक परस्पर विरोधाभास है।
2. हाथियों को लेकर लचीले प्रावधान उनके व्यवसायिक शोषण को बढ़ावा

Scanned by CamScanner

देगा और संभवतः इनके व्यापार को भी आसान बनाएगा।

3. वर्तमान अनुसूचियाँ पहले की अनुसूचियों की तुलना में लचीली हैं, जैसे- पहले अनुसूची II या III में सम्मिलित प्रजातियाँ अभी चौथी अनुसूची में लायी गयी हैं जिनसे उनका व्यापार संभंव हो जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

CITES

- Washington Convention भी कहते हैं।
- 1973 में प्रस्तावित
- 1975 में लागू
- 2024 में 184 सदस्य (भारत सहित)
- उद्देश्य → जंतु और पादप के संकटग्रस्त वन्यप्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दुष्प्रभावों से रक्षा ताकि

Scanned by CamScanner

उन्हें विलुप्ति से बचाया जाये।

- ~ 40,000 प्रजातियों / समष्टियों को सुरक्षा दी गयी है।

↓

3 परिशिष्टों में

I

- ☆ सर्वाधिक सुरक्षित
- ☆ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग प्रतिबंधित

II

प्रजातियों के विलोपन का कम जोखिम
↓
विनियमित व्यापार की अनुमति

III

ऐसी प्रजातियाँ जो कुछ देशों में संरक्षित किन्तु अन्य देशों में नहीं।
↓
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner